तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **अब्दुल क्यूम शेरानी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 32/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-03-2022	अपीलार्थी अब्दुल कयूम शेरानी, पता 37, सकीना कोलानी सिवांचीगेट, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.12.2021 में उसके द्वारा (1) मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ जोधपुर के पत्र दिनांक 03.08.21 की (प्रति संलग्न) पर मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ के प्रकरण सं0 सीएमओ 1845 की पत्रावली की प्रतिलिपि व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर, प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 221 दिनांक 07.03..2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बतलाया कि अपर जिला कलक्टर द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी, मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 116 दिनांक 25.01.22 द्वारा कुल 449 पृष्ठों की सूचना प्राप्त करने हेतु राशि रूपये 898/– रूपये इस कार्यालय में जमा कराने हेतु लिखा गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा नहीं कराये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना सभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का निर्धारित शुल्क 898/– रूपये जमा नहीं कराये जाने के कारण सूचना नहीं दी गई है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, परिणामस्वरूप अपील अमान्य होने से निरस्त की जाती है। अपीलार्थी सूचना प्राप्त करने के लिए अगर गंभीर है तो निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested